



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 24601 वर्ष 2025

अनिल उर्फ चिल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: गौरव कुमार सिंह, जे.बी. सिंह, सरवम द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, संदीप सिंह, तुषार कृष्णानी

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

यह दूसरी जमानत याचिका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार सिंह, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री तुषार कृष्णानी, और राज्य के विद्वान एजीए उपस्थित हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस जमानत याचिका के माध्यम से आवेदक ने पुलिस स्टेशन सूरजपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 429/2023 में धारा 364, 302, 201, 34, 404, 411 आईपीसी और धारा 4/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है। आवेदक 13.08.2023 से जेल में है।

आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2024 को खारिज कर दी गई थी।

अवर न्यायालय द्वारा भेजी गई स्थिति रिपोर्ट में दर्ज है कि सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। मुकदमा अपने अंतिम चरण में है। इस स्तर पर, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं बताया गया है।

मामले की खूबियों में जाए बिना, जमानत याचिका खारिज की जाती है।

चूंकि ट्रायल न्यायालय को पहले ही दिनांक 01.07.2024 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14707/2024 में धारा 309 सीआरपीसी/346 बीएनएसएस के उद्देश्य को पूरा करने और मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया जा चुका है, इसलिए आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अवर न्यायालय को दिनांक 01.07.2024 के आदेश का पालन करने और मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

08 जनवरी 2026

वंदित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अजय भनोट)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।